पृष्ठ 4025 Rems- 2025/69

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
07.04.2025	पत्रावली प्रार्थी/वादी छिन्द्रपाल सिंह जरिए अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण पेश हुई। प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में चक 3 जीएम खाता सं. 27 का उल्लेख वाद में करने से रह जाने के कारण पारित निर्णय दिनांक 09.12.2024 में खाता सं. 27 में दर्ज भूमि का नाम छिन्द्रपाल कौर ही रह गया है, चक 3 जीएम के खाता सं. 27 में दर्ज भूमि में नाम छिन्द्रपाल कौर के स्थान पर छिन्द्रपाल सिंह दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण वाद सं. 06/2024 दिनांक 09.12.2024 को निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री किया गया है, वाद पत्र चाहे अनुतोष अनुसार डिक्री किया गया है। निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। स्वयं प्रार्थी/वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि जिस भूमि के संबंध में अनुतोष चाहा गया है उसका उल्लेख वाद पत्र में करने से रह गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है जिसमें किसी प्रकार से परिवर्तन, संशोधन तथा हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो अनुतोष चाहा गया है वह प्रार्थी को उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:28:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner